

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण

संख्या-प0नि0 30-155/2021 1956

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
सिवान।



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पटना, दिनांक-26/3/21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-49711 प0, दिनांक-12.03.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त सहायक मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	दरौली	0	8	8
कुल		0	8	8

2. प्रखंड दरौली के 29 मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 13 मतदान केन्द्रों का पूर्व में अनुमोदन किया जा चुका है। पूर्व में अनुमोदित मतदान केन्द्र है 12, 15(क), 81, 104(क), 107, 108, 116(क), 134(क), 176(क), 180, 194, 197, 211(क) का पूर्व में अनुमोदन हो चुका है। 08 मतदान केन्द्र-70(क), 109(क), 110(क), 133(क), 139(क), 202(क), 203(क), 24(क), को अनुमोदित किया जाता है। शेष 08 मतदान केन्द्रों की प्रविष्टि दो वार की गई है।

3. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक-...../-

पटना, दिनांक-...../-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

सचिव।
26/3/2021

कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली (सिवान)

प्रपत्र-2

[नियम 2(म) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची (संशोधित)

प्रखण्ड-दरौली

ग्राम पंचायत - सरहरवा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/ओचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रानि/क्षेत्र संख्या.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (50 से तक)	भवन सरकारी/अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभ्युक्ति
24 (क)	30 मी वि० सरहरवा (20 नाम)	30 मी वि० सरहरवा (20 भाग)	मतदाता अधिक होने का कारण	12 - सरहरवा क्षेत्र के अलावा	444-891	सरकारी भवन	1	200 मीटर	हो	हाँ	संशोधित

प्रस्तावित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का घटन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में स्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चर्चित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र सरकारी/अर्द्धसरकारी नवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

बिना पंचायत विकास पदाधिकारी
सिवान

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
दरौली (सिवान)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

वरिय प्रभारी

जिला पदाधिकारी, सिवान

—मह—

10/12/21

10/12/21

कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली (सिवान)

प्रपत्र-2

[नियम 2(न) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केंद्रों की सूची
(संशोधित)

जिला - सिवान

प्रखण्ड-दरौली

		ग्राम पंचायत - डरौली मठिया										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केंद्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/अविवक्षित	मतदान केंद्र का विस्तार (प्रानि/क्षेत्र संख्या.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र0 से तक)	मवन सरकारी/अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	मवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास को अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केंद्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अन्य		
70 (क)	सामुदायिक मवन पोखरा टोला (रायों नाग)	सामुदायिक मवन पोखरा टोला (रायों नाग)	मतदाता अधिक होने का कारण	2 - डरौली मठिया पोखरा पर (क्र0 नि/क्षेत्र संख्या.....)	579-1156	सरकारी मवन	1	200 मीटर	हैं	हैं	संतो	

प्रस्तावित किया जाता है कि मतदान केंद्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केंद्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केंद्र निजी अथवा धार्मिक स्वतंत्र पर स्थापित नहीं किया गया है। चयनित मतदान केंद्र को स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी मवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

जिला निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित

(Signature)
10/12/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

—सह—
जिला पदाधिकारी, सिवान

(Signature)
दरौली प्रभारी

(Signature)
जिला पंचायत क्षेत्र पदाधिकारी
सिवान

(Signature)
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
दरौली, सिवान

(Signature)

कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली (सिवान)

प्रपत्र-2

[नियम 2(म) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केंद्रों की सूची
(संशोधित)

जिला - सिवान

प्रखण्ड-दरौली

		ग्राम पंचायत - सरना									
क्र. संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केंद्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/अधित्य	मतदान केंद्र का विस्तार (प्रानि0क्षेत्र संख्या.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (म0 से तक)	मकन सरकारी/अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	मकन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केंद्र पर पहुंचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	क्र. सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109 (क)	उ0 म0 वि0 विरवनिचौं (म0 भाग)	उ0 म0 वि0 विरवनिचौं (म0 भाग)	मतदाता अधिक होने का कारण	12 - विरवनिचौं	458 - 1044	सरकारी मकन	1	200 मीटर	हैं	हैं	सं.
110 (ख)	उ0 म0 वि0 विरवनिचौं (म0 भाग)	उ0 म0 वि0 विरवनिचौं (म0 भाग)	मतदाता अधिक होने का कारण	13 - विरवनिचौं	466 - 875	सरकारी मकन	1	200 मीटर	हैं	हैं	सं.

नगित किया जाता है कि मतदान केंद्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केंद्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केंद्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चरित मतदान केंद्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी मकन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली सिवान

जिला पंचायत राज पदाधिकारी सिवान

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित

10/05/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

जिला पदाधिकारी, सिवान

कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली (सिवान)

प्रपत्र-2

[नियम 2(म) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची (संशोधित)

प्रखण्ड-दरौली

जिला - सिवान

जिला - सिवान		ग्राम पंचायत - कृष्णपाली									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/आवित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रानि) क्षेत्र संख्या.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (मप) से तक)	मवन सरकारी/अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	मवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्मय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अवधि
1				5	6	7	8	9	10	11	12
133 (क)	प्रानि वि० बलियाँ (२० भाग)	प्रानि वि० बलियाँ (२० भाग)	मतदाता अधिक होने का कारण	9 - बलियाँ संपुर्ण ग्राम	470 - 950	सरकारी मवन	1	200 मीटर	हैं	हैं	संशोधित
139 (क)	प्रानि वि० महुँजा देवरियाँ टोला (५० भाग)	प्रानि वि० महुँजा देवरियाँ टोला (५० भाग)	मतदाता अधिक होने का कारण	12 - महुँजा एवं देवरियाँ विहदौला	470 - 858	सरकारी मवन	1	200 मीटर	हैं	हैं	संशोधित

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। बलित मतदान केन्द्र की स्थापना क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी मवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

खिला पंचायत दरौली पदाधिकारी सिवान

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दरौली सिवान

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सिवान

जिला पदाधिकारी, सिवान

कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली (सिवान)

प्रपत्र-2

[नियम 2(म) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केंद्रों की सूची
(संशोधित)

जिला - सिवान

प्रखण्ड-दरौली

जिला - सिवान		ग्राम पंचायत - दरौली									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केंद्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केंद्र का विस्तार (प्रोनिबंधन संख्या.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र० से तक)	मवन सरकारी/अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	कुल कमरों की संख्या	मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केंद्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभ्युक्ति
202 (क)	सार्वजनिक पुस्तकालय दरौली (50 भाग)	सार्वजनिक पुस्तकालय दरौली (50 भाग)	मतदाता अधिक होने का कारण	15 - झली टोला के सरयु नदी के किनारे का मूखण्ड	551 - 1100	सरकारी मवन	1	200 मीटर	हैं	हैं	संशोधित
203 (क)	नया प्रा० वि० मेल्हनी (50 भाग)	नया प्रा० वि० मेल्हनी (50 भाग)	मतदाता अधिक होने का कारण	16 - टोला टोला एवं मेल्हनी	570 - 1158	सरकारी मवन	1	200 मीटर	हैं	हैं	संशोधित

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केंद्रों का चयन आयोग के द्वारा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केंद्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केंद्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चलित मतदान केंद्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी मवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला सिवान

खिला पंचायत राज पदाधिकारी सिवान

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली (सिवान)

10/07/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

वरिय प्रभारी

—सर्व—
जिला पदाधिकारी, सिवान।